निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 05/2022
दायरा दिनांकः–04.03.2022
निर्णय दिनांकः– 13.7.24

उनवान

1. चम्पालाल आयु 46 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल उर्फ मांग्या जाति चमार निवासी ग्राम खजूरी तहसील छबडा जिला बारां।
2. कल्याण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल उर्फ मांग्या जाति चमार निवासी ग्राम खजूरी तहसील छबडा जिला बारां।
3. भरोसी बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल उर्फ मांग्या जाति चमार निवासी ग्राम खजूरी तहसील छबडा जिला बारां।

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 13.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 10/13 की खसरा नम्बर 23 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 24 की 02 बिस्वा खसरा नम्बर 25 रकबा 05 बिस्वा , खसरा नम्बर 38 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ,खसरा नम्बर 39 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा ,खसरा नम्बर 40 रकबा 12 बिस्वा ,खसरा नम्बर 49 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता सात रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके माल खालकपुरा तहसील छबडा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थीगण के पिता को दो नामों से जाना जाता था। प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल उर्फ मांग्या था किन्तु राजस्व कर्मचरियों ने उक्त खाते में पिता का नाम हीरालाल उर्फ मांग्या नही करके सिर्फ मांग्या लिख दिया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड राशन कार्ड, व पेन कार्ड में हीरालाल उर्फ मांग्या अंकित है तथा जब प्रार्थीगण ने बैंक से के0सी0सी0 उठाने के लिए नकल जमाबन्दी प्राप्त की तब पता चला कि प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल उर्फ मांग्या नही करके सिर्फ मांग्या कर दिया है प्रार्थीगण को के0सी0सी0 उठाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की माता बिरधी बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का स्वर्गवास हो गया है जिसमें भी खातेदार पति का नाम हीरालाल के स्थान पर मांग्या कर दिया है जिमे भी दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खालकपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 10 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेन कार्ड, चम्पालाल आधार कार्ड चम्पालाल, पहचान पत्र, चम्पालाल, आधार कार्ड कल्याण, पहचान पत्र कल्याण परिवार राशन कार्ड पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थी के पिता का नाम हीरालाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या दर्ज कर दिया है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में हीरालाल दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा सम्वत 2076–79 खाता संख्या 10 में प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या दर्ज है फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड पहचान पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम हीरालाल दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खालकपुरा की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में फोती नामान्तरण में अंकन करतें समय सहवन से इनके पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर मांग्या दर्ज हो गया है ग्राम वासियों के आधार पर मांग्या हीरालाल के पिता का नाम था एवं हीरालाल मांग्या से पहले फोत हो चुका था जिससे दादाजी के स्थान पर पुत्र का फोती नामान्तरण खुला जिससे यह गलती होना पाया गया। तहसीलदार छबडा एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 23 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 5 बीघा खसरा नम्बर 38 रकबा 1.15 बीघा खसरा नम्बर 39 रकबा 2.01 बीघा खसरा नम्बर 40 रकबा 12 बिस्वा खसरा [illegible] 1.01 बीघा में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या के स्थान पर हीरालाल [illegible] करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा